

सिगनल को खतरे की स्थिति में पार करने को रोकने के लिए संशोधित 32-सूत्री कार्य योजना

(प्रमुविइंजी/दमरे का दि.27.08.2021 का पत्र सं. ई.195/टीआरएस/संरक्षा/जिल्द. XXIX)

1. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को साइन-ऑन करने से पहले पूर्ण विश्राम करना होगा.
2. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को सेक्शन की उचित सड़क की जानकारी होनी चाहिए.
3. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को साइन-ऑन और साइन-ऑफ के दौरान बीए टेस्ट से गुजरना होगा.
4. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को अपने सिगनल को सही ढंग से पहचानना होगा और इशारे से सिगनल के पहलू को जोर से बताना होगा. दाहिने हाथ की ओर के सिगनलों को विशेष रूप से दोहराया जाना चाहिए.
5. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट सिगनल पर नजर रखेंगे और सिगनल के करीब पहुंचने तक तदनुसार कार्रवाई करेंगे.
6. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को सिगनल के नीचे तक बार-बार खतरे का सिगनल देना होगा. लोकोपायलट को अपनी गाड़ी को नियंत्रण में रखते हुए खतरे के समय आने वाले सिगनल से पहले ही रोकना होगा.
7. सहायक लोको पायलट को किसी भी सिगनल को सावधानी से पार करते समय खड़े होकर आपातकालीन ब्रेक हैंडल/आरएस वाल्व पर दाहिना हाथ रखना चाहिए तथा आने वाले खतरे के सिगनल को लगातार तेज गति से दोहराना चाहिए, जब तक कि गाड़ी खतरे के सिगनल के नीचे न रुक जाए.
8. सहायक लोको पायलटों को जब भी आवश्यकता हो आपातकालीन ब्रेक लगाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. यदि सिगनल की वास्तविक दूरी ईबीडी के बराबर या उससे कम हो रही है या गाड़ी की गति आपातकालीन ब्रेकिंग के लिए उपलब्ध दूरी से अधिक है, तो सहायक लोको पायलट आपातकालीन ब्रेक लगाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है.

विभिन्न गति पर बीओएसएन एचएल लोडेड 59+1 के लिए ईबीडी															
ईबीडी (मीटर)	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5
	1575	1400	1225	1050	900	750	625	500	400	325	250	175	125	75	30

9. लोकोपायलट को दिए गए सिगनल के अनुसार ही कार्य करना होगा और किसी भी अन्य बात की कल्पना नहीं करनी होगी. उसे "सिगनल और केवल सिगनल" का ही पालन करना होगा.
10. लोको पायलट को जहां भी लागू हो, ब्रेक फील टेस्ट, ब्रेक पावर टेस्ट और ब्रेक कंटिन्युटी टेस्ट करना होगा.
11. लोको पायलट को अपनी गाड़ी के ब्रेक-पावर के बारे में अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए.
12. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को साइन-ऑन से साइन-ऑफ तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए.
13. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को वॉकी-टॉकी पर सिगनल के संबंध में अनुदेश नहीं लेने होंगे.
14. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट वीसीडी को बाईपास न करें और वीसीडी के खराब होने की स्थिति में वीसीडी को बाईपास करने के लिए टीएलसी को सूचित करें.

15. लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को स्टॉप सिगनल के सामने मेमो बुक, लॉग बुक लिखने, सामान पैक करने आदि में शामिल नहीं होना चाहिए और न्यूट्रल सेक्शन पर पीछे की कैब या मशीन रूम में नहीं जाना चाहिए.
16. लोको निरीक्षक को अपने लोको पायलटों की इंजनमैनशिप पर अधिक बारीकी से नज़र रखनी चाहिए तथा उनके कमजोर क्षेत्रों में सुधार लाना चाहिए. किसी भी लोको पायलट को निगरानी के लिए शेष नहीं छोड़ा जाना चाहिए.
17. लोको पायलट और लोको निरीक्षक को सिगनल दृश्यता संबंधी किसी भी समस्या को तुरंत सुधारने के लिए सूचित करना होगा.
18. सिगनल साइटिंग समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए.
19. लोको निरीक्षकों द्वारा दिन और रात में स्पीड गन और पोर्टेबल बी.ए. उपकरणों के साथ घात लगाकर जांच की जाएगी.
20. कोहरे के मौसम आदि में सहायता के लिए स्टॉप सिगनल से पहले सिग्मा बोर्ड लगाए जाएं.
21. रनिंग रूम में सिफारिश की गई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा अमरेप्र के अधीन आरआरआईसी का त्रैमासिक निरीक्षण किया जाए तथा उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए.
22. पॉवर अधिकारी सभी लोको निरीक्षकों की डायरी की महीने में एक बार नियमित जांच करें तथा कमजोर ड्राइवरों को सुधारने के लिए प्रयास करें.
23. प्रशिक्षण स्कूल और सिमुलेटर में लोकोपायलटों के निष्पादन पर भी नजर रखी जाएगी.
24. लोको निरीक्षकों द्वारा लोको पायलटों के एसपीएम/सीयूजी मोबाइल डाटा का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाएगा.
25. लोकोपायलटों को बीएमबीएस और ट्रिन पाइप वाले बीओएक्सएन एचएल और बीसीएनएचएल रेकों में खराब ब्रेक-पावर और ब्रेक के शीघ्र रिलीज के बारे में परामर्श दिया जाता है.
26. लोको पायलटों को कैब में अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना चाहिए तथा कैब में सभी व्यक्तियों को मोबाइल फोन पर बात करने की मनाही है.
27. सामने आने वाले खतरे के सिगनल पर केवल रीजेनरेटिव/डैनमिक ब्रेकिंग के उपयोग से बचना चाहिए. लोको पायलट को गाड़ियों के मामले में ए-9 और लाइट इंजन के मामले में एसए-9 का उपयोग करना चाहिए.
28. जब भी गाड़ियों को स्टेशनों पर/खतरे के सिगनल के नीचे रोका जाता है, तो ए-9 ब्रेक की मिनिमम रीडक्शन पोजिशन सहित फॉर्मेशन ब्रेक लगाया जाना चाहिए.
29. शंटिंग करते समय लोको पायलटों को उचित कैब/दाहिने नियंत्रण स्टैंड से काम करना चाहिए तथा उचित सुरक्षा के बिना लोको को कर्मचारियों के बिना नहीं छोड़ना चाहिए.
30. गाड़ी चलाते समय, सिगनल और केवल सिगनल को ही देखें. सिगनल के किसी भी पहलू से विचलित न हों. किसी भी दृश्यता समस्या या सिगनल देखने संबंधी समस्या के मामले में तुरंत रिकॉर्ड करें और रिपोर्ट करें तथा साइन ऑफ करते समय सीएमएस में इसे दर्ज करें.
31. योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना लोको पायलट की सेवाओं का उपयोग मेमू/डेमू गाड़ियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए.
32. लोको पायलटों को "सावधानी" के पहलू पर सिगनल पार करते समय गति को उचित रूप से कम करना चाहिए और सा.नि. 3.07 के अनुसार खतरे की स्थिति में स्टॉप सिगनल से पहले रुकने के लिए तैयार रहना चाहिए. ईटीटीसी/विजयवाडा में विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिए सिमुलेटर में किए गए सिमुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार, सावधानी के पहलू पर सिगनल पार करते समय, कोचिंग गाड़ियों के लिए 60 किमी प्रति घंटे की गति और माल गाड़ियों के लिए 30 किमी प्रति घंटे की गति 150 में 1 या उससे अधिक ढलान पर स्टॉप सिगनल से पहले गाड़ी को आसानी से रोकने के लिए सुरक्षित पाई गई है.

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे